

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-६२७ वर्ष २०१७

रुकिमणी देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड राज्य, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना—धुर्वा, जिला—रांची।
3. उपायुक्त, रांची।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक (डी०एस०ई०) रांची, कलेकट्रेट बिल्डिंग रांची कचहरी कंपाउंड, कचहरी डाकघर, थाना—सदर, जिला—रांची।
5. प्रखण्ड शिक्षा विस्तार अधिकारी (बी०ई०ई०ओ०), सोनाहातु, डाकघर एवं थाना—सोनाहातु, जिला—रांची।
6. प्रधानाध्यापक—सह—सचिव, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहेरडीह, डाकघर—जामुदाग, थाना—सोनाहातु, जिला—रांची।
7. बिंदेश्वरी देवी, पत्नी—श्री उपेंद्र महतो, निवासी ग्राम—तेलवाडीह, डाकघर—जामुदाग, थाना—सोनाहातु, जिला—रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री एच०के० महतो, अधिवक्ता

उत्तरदाता—राज्य के लिए:- श्री श्रीनु गरापति, एस०सी० (खान)—II के ए०सी०

उत्तरदाता संख्या 7 के लिए:- श्री ए0 आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री फैसल आलम,
अधिवक्ता

06 / 08.05.2019 इस रिट एप्लिकेशन में, याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादी को हटाने
के बाद, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार, सोनाहातु ब्लॉक, जिला रांची के अधीन सरकारी
मिडिल स्कूल, तेलवाड़ी में अवैध रूप से नियुक्त किया गया है, को हटाने के बाद उसे
संजोजिका (संयोजक) के कर्तव्य का निर्वहन जारी रखने की अनुमति देने की प्रार्थना की
है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि सर्व शिक्षा योजना के तहत मध्याह्न भोजन
याजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संजोजिका (संयोजक) नियुक्त किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है
और ऐसी नियुक्ति के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाया है कि
मौखिक आदेश के तहत नवंबर, 2016 से उसे संयोजक के रूप में कार्य करने से रोक दिया
गया था। वह प्रार्थना करती है कि प्रतिवादी संख्या 7 जिसे नियुक्त किया गया है, को
हटाने के बाद उसे अपना काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

4. राज्य के वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि यह पद न तो राज्य
के अधीन है और न ही किसी वैधानिक प्राधिकरण के अधीन है। वह सरकारी संकल्प को
संदर्भित करते हैं जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्कूलों में सरस्वती वाहिनी के नाम से
उप-समिति होनी चाहिए। सरस्वती वाहिनी की आयोजन समिति एक संयायेजक का चयन
करेगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का चयन स्कूल शिक्षा समिति द्वारा संयाजक के रूप

में किया गया था और सरस्वती वाहिनी के गठन के बाद, उक्त वाहिनी द्वारा उसे हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि स्कूल समिति ने याचिकाकर्ता को संयोजक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सरकार के प्रस्ताव के लागू होने के बाद, एक बैठक में प्रतिवादी सं0-7 को नियुक्त किया गया।

5. प्रतिवादी सं0-7 के वकील ने राज्य के वकील के निवेदन का समर्थन किया।
6. मैंने पार्टियों के वकील को सुना।
7. अभिलेखों के परिशीलन के बाद, मुझे पता चलता है कि दिनांक 09.06.2016 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सरस्वती वाहिनी के गठन का प्रावधान है। यह स्कूल प्रबंध समिति की उप-समिति है। उक्त संकल्प के अनुसार, उक्त सरस्वती वाहिनी के संयोजक को नियुक्त किया जाना है। माना जाता है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2013 में संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 09.06.2016 के संकल्प के बाद, सरस्वती वाहिनी का गठन किया गया और उसके बाद उक्त उप-समिति ने प्रतिवादी सं0-7 को सरस्वती वाहिनी के संयोजक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार, यह केवल सदस्यों के बीच एक संयोजक का चयन है, जिसे नियुक्त नहीं कहा जा सकता है। उप-समिति द्वारा याचिकाकर्ता की जगह एक अन्य संयोजक को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, मुझे पूरी प्रक्रिया में कोई अवैधता लगती है।
8. तदनुसार, यह रिट एप्लिकेशन खारिज किया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता को काई राहत नहीं दी जा सकती है।

(श्री आनंदा सेन, न्याया०)